

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

भव्य नीलामी कार्यक्रम

न्यास की भिन्न-भिन्न आवासीय एवं व्यापारिक योजनाओं का नीलामी कार्यक्रम दिनांक:-19.02.2019 से दिनांक:-28.02.2019 तक रखा गया है। कृपया नीलामी में भूखण्ड खरीदकर लाभ उठावें।

स्थल:- न्यास परिसर

समय:-प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे तक

दिनांक	नाम योजना/कॉलोनी	किस्म भूखण्ड	भूखण्ड संख्या	आरक्षित दर (प्रति व.फु.)	प्रारम्भिक दर (प्रति व.फु.)	अनुमानित माप (वर्ग फुट)	धरोहर राशि
19.02.19	स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना	आवासीय	ए-1 कॉर्नर ए-15 कॉर्नर	630/-	700/-	49x79	245000/-
20.02.19	स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना	आवासीय	बी-2, बी-3	630/-	700/-	39x79	245000/-
21.02.19	स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना	आवासीय	ए-17, ए-18	630/-	700/-	39x69	195000/-
22.02.19	स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना	आवासीय	ए-53 कॉर्नर ए-55, ए-56	630/-	700/-	30x64	121000/-
25.02.19	स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना	आवासीय	ए-57, ए-58	630/-	700/-	30x64	121000/-
26.02.19	स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना	आवासीय	ए-78 कॉर्नर बी-105, बी-106	630/-	700/-	25x49	78000/-
27.02.19	करणी नगर आवासीय योजना	आवासीय	सी-136 कॉर्नर	990/-	3100/-	39x69	135000/-
28.02.19	स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना	आवासीय	बी-107, बी-108, बी-109	630/-	700/-	25x49	78000/-

नीलामी की मुख्य शर्तें:-

1. नीलामी का समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक रहेगा। जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
2. मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्डों का माप/क्षेत्रफल घट बढ़ सकता है।
3. भूखण्ड खरीदने के इच्छुक नीलामी से पूर्व उपरोक्त 02 लाख से कम की धरोहर राशि नगद, बैंकर, बैंक, डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करा सकते हैं एवं 02 लाख अथवा इससे अधिक की धरोहर राशि बैंकर बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा करा कर बोली लगा सकते हैं।
4. बोलीदाता द्वारा बोली लगाये जाने पर माना जायेगा कि उसको नीलामी की सभी शर्तें स्वीकार है।
5. जिन भूखण्डों को जिस दिन नीलामी में रखे गये हैं उन भूखण्डों की उसी दिन नीलामी बुलाई जायेगी एवं नीलामी उसी दिन समाप्त हो जायेगी।
6. अंतिम बोलीदाता को भूखण्ड की 1/4 नीलामी राशि मौके पर 02 लाख से कम की राशि नगद, बैंकर, बैंक, डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करा सकते हैं परन्तु 02 लाख अथवा इससे अधिक की 1/4 नीलामी राशि बैंकर बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से उसी दिन जमा करवानी होगी अन्यथा जमाशुदा धरोहर राशि जब्त करके नीलामी रद्द कर दी जायेगी।
7. भूखण्ड के सैट बैंक और निर्माण योग्य क्षेत्र पूर्व में निर्धारित होते हैं। जिसको तदानुसार रखा जाकर कार्यालय से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कराया जा सकता है।
8. भूखण्ड की 3/4 राशि अनुमोदन उपरान्त जारी मांग पत्र की दिनांक से 30 दिवस में जमा करवानी होगी। अन्यथा इस राशि को अगले 60 दिनों में नीलामी स्वीकृती दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से देय ब्याज से जमा करवायी जा सकती है इसके पश्चात् नीलामी स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। जिसकी सूचना अलग से प्रेषित नहीं की जायेगी।
9. नीलामी की कार्यवाही संचालन करने वाले अधिकारी को आवश्यकता अनुसार नीलामी का समय बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है एवं नीलामी स्वतंत्र एवं प्रतियोगितात्मक नहीं पाये जाने पर नीलामी निरस्त कर सकते हैं।
10. भूखण्ड की नीलामी के वक्त भूखण्ड जिस हालात में होगा उसी हालात में नीलाम किया जायेगा एवं भूखण्ड का जो माप मौके पर होगा वहीं मान्य होगा।
11. अध्यक्ष नगर विकास न्यास बीकानेर को बिना कोई कारण बताये नीलामी स्वीकृत एवं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. नीलामी से क्रय शुदा भूखण्डों पर प्रभावशील भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं भवन विनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।
13. नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं मानचित्र आदि कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है एवं अन्य जानकारी यू.आई.टी. की वेबसाइट www.urban.rajabasthan.gov.in/uitbikaner पर देखा जा सकता है।

कुमार पाल गौतम I.A.S.
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
नगर विकास न्यास,
बीकानेर

डॉ राष्ट्रदीप यादव R.A.S.
सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर